

| | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | विभाग— | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
| 2. | योजना का नाम – | पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा-9 व 10) अल्पसंख्यक वर्ग हेतु। |
| 3. | योजना की संक्षिप्त टिप्पणी – | इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को उनके शैक्षिक स्तर को बढ़ाये जाने के दृष्टिकोण से छात्र/छात्राओं को शुल्क भुगतान न किये जाने की दशा में शिक्षा से वंचित होने की स्थिति के मद्देनजर निर्बाध शिक्षा ग्रहण करने हेतु डेस्कालर (दिवस छात्र) हेतु 150-00 प्रतिमाह की दर से एवं रूपये 750-00 वार्षिक तदर्थ अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है। |
| 4. | पात्रता की अर्हता – | इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे माता-पिता/अभिभावकों जिनकी सभी श्रोत्रों से वार्षिक आय रू0 2.00 लाख से अधिक नहीं है, को विभाग द्वारा स्वीकृत दरो पर छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन करने की स्थिति में नियमानुसार छात्रवृत्ति की धनराशि देय है। |
| 5. | आवेदन की प्रक्रिया – | इस योजनान्तर्गत बिन्दु संख्या- 04 में उल्लिखित आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले माता-पिता/अभिभावकों के छात्र/छात्राओ द्वारा छात्रवृत्ति वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in/ पर निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत अपना छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र सबमिट कर सकते हैं। |
| 6. | लिंक वेबसाईट – | http://scholarship.up.nic.in/ |
| 7. | सम्पर्क सूत्र | अन्य जानकारी हेतु जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अथवा मण्डल स्तर पर उपनिदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण से सम्पर्क किया जा सकता है। |